प्रेस विज्ञप्ति

11.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स कर्नाटक राज्य हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (केएसएचडीसीएल) के खातों से सरकारी धन के दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स वेलोहर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की 75 लाख रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

पीएमएलए, 2002 के तहत जाँच से पता चला कि 3.74 करोड़ रुपये इलाहाबाद बैंक, चेन्नई स्थित मेसर्स वेंचर कॉटेज इंडस्ट्रियल ट्रेड कॉर्पोरेशन को हस्तांतरित किए गए। इसके बाद, षडयंत्रकारियों ने इस राशि को नकद में निकालकर गबन कर लिया। बैंक अधिकारी सतीश वी. वम्बाशे ने जे.आर. प्रधान, मोहम्मद रफी, मोहम्मद अबूबकर और शरत चंद्रन के साथ मिलकर, फर्जी प्रस्तावों और जाली प्राधिकरण पत्रों का उपयोग करके, एसबीआई, हेसरघट्टा शाखा में मेसर्स केएसएचडीसीएल के नाम से दो चालू खाते धोखाधड़ी से खोले। केएसएचडीसीएल की 5.01 करोड़ रुपये की राशि इन फर्जी खातों में स्थानांतरित कर दी गई। जबकि केवल 25 लाख रुपये ही वास्तविक सावधि जमा (एफडी) में डाले गए, 5.01 करोड़ रुपये की एक जाली एफडीआर (सावधि जमा रिपोर्ट) तैयार की गई और केएसएचडीसीएल को सौंप दी गई, जिससे धन की हेराफेरी छिप गई। शेष राशि में से, 1 करोड़ रुपये मेसर्स वेलोहर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई को और 3.74 करोड़ रुपये मेसर्स वेंचर कॉटेज इंडस्ट्रियल ट्रेड कॉर्पोरेशन, इलाहाबाद बैंक, चेन्नई को हस्तांतरित कर दिए गए। फिर प्राप्त राशि निकाल ली गई।

ईडी की जाँच से पता चला कि निगम के एसबीआई खाते से 30.07.2018 को तीन आरटीजीएस लेनदेन के माध्यम से मेसर्स वेलोहर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के खाते में 1 करोड़ रुपये जमा किए गए थे। इसमें से 25 लाख रुपये नकद निकालकर एक आरोपी को दे दिए गए, जबकि शेष 75 लाख रुपये कंपनी और उसकी निदेशक श्रीमती विजयलक्ष्मी एस ने निजी और व्यावसायिक खर्चों के लिए इस्तेमाल किए, जबकि उन्हें पता था कि यह धनराशि अपराध से अर्जित की गई थी।

इसके अलावा, जाँच से पता चला कि मेसर्स वेलोहर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के पास कांचीपुरम जिले के शोलिंगनल्लूर गाँव के "सनराइज एवेन्यू" में 32.55 सेंट क्षेत्रफल का एक भूखंड है, जिसका विक्रय मूल्य 3.80 करोड़ रुपये है। इस प्रकार, मेसर्स वेलोहर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की उक्त संपत्ति, जिसका मूल्य 75 लाख रुपये है, को पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया है।

आगे की जाँच जारी है।